न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय रीवा पीठ रीवा (म0प्र0)

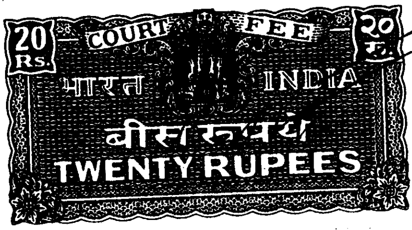

कौशल प्रसाद पिता मोतीलाल यादव निवासी ग्राम देउर, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0),

——————निगरानीकर्ता

बनाम

शिवबालक पिता पियारे यादव, निवासी ग्राम देउर, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0),

——————गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील त्योंथर, वृत्त चाकघाट द्वारा प्रकरण क्र0–56अ12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 13/09/12

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नवत् हैः–

1– यह कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा ग्राम देउर की आराजी नं0–81 का सीमांकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन किये जाने का आदेश प्रदान किया गया था जिसके पालन में दिनांक 25/05/2012 को सीमांकन करने की सूचना जारी की गई थी तथा सूचना अनुसार निगरानीकर्ता दिनांक 25/05/2012 को पूरे दिन मौके पर मौजूद रहे किन्तु कोई भी राजस्व पदाधिकारी मौके पर सीमांकन करने नही पहुंचा, किन्तु अचानक दिनांक

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 4176-II/12 जिला रीवा

कौशल प्रसाद / शिवबालक यादव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.1.07	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक अभि० श्री एस.के. सिंह उप० आवेदक एवं उनके अभि० को कई बार पुकार लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। [signature] सदस्य	अनावेदक [signature]